झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

तृतीय झारखण्ड विधान- सभा

त्रयोदश-(बजट) सत्र

वर्ग- 02

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक- 13 फाल्गुन, 1935 [श0] / 04 मार्च, 2014 [ई0] को झारखण्ड विधान- सभा के आदेश- पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्र0सं0-	विभागोंको संसूचित की गई सं0सं0	सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06
161-	अ0सू0- 50	श्री ढुलू महतो	पॉलिटेक्निक का निर्माण।	विज्ञान एवं प्रावै0	24.02.2014
162-	अ0सू0- 32	श्री प्रदीप यादव	राजस्व क्षतिपूर्ति राशि वसूली करना।	खनन्	22.02.2014
163-	अ0सू0- 43	श्री मिस्त्री सोरेन	इंटर एवं डिग्री कॉलेज बनाना।	मानव संसाधन	23.02.2014
164-	अ0सू0- 51	श्री प्रदीप यादव	समायोजन करना।	मानव संसाधन	24.02.2014
165-	अ0सू0- 33	श्री मथुरा प्र0 महतो	सही जानकारी देना।	मानव संसाधन	22.02.2014
166-	अ0सू0- 44	श्री नवीन जायसवाल	छात्रों को लाभ देना।	विज्ञान एवं प्रावै0	24.02.2014
167-	अ0सू0- 38	श्री जय प्रकाश सिंह भोगता	विस्थापितों को नौकरी एवं मुआवजा दिलाना।	खनन्	23.02.2014

(कृ0पृ0उ0)

01.	02.	03.	04.	05.	06
168—	अ0सू0— 45	श्री बंधु तिर्की	खेल सामग्री उपलब्ध कराना।	कला संस्कृति	24.02.2014
169—	अ0सू0— 26	श्री माधवलाल सिंह	उद्योग स्थापित करना।	उद्योग	20.02.2014
170—	अ0सू0— 49	श्री रामचन्द्र बैठा	चाहरदिवारी एवं शौचालय की व्यवस्था।	मानव संसाधन	24.02.2014
171—	अ0सू0— 36	श्री बिष्णु प्र0 भैया	स्थानीयता के आधार पर प्रतिनियुक्ति करना।	मानव संसाधन	23.02.2014
172—	अ0सू0— 31	श्री चन्द्रिका महथा	पारा शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि एवं सेवा नियमित करना।	मानव संसाधन	21.02.2014
173—	अ0सू0— 48	श्री कमलेश उराँव	पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण।	विज्ञान एवं प्रावै0	24.02.2014
174—	अ0सू0— 34	श्री जनार्दन पासवान	प्रावधान बनाना।	मानव संसाधन	23.02.2014
175—	अ0सू0— 41	श्री दीपक बिरूवा	पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	खनन्	23.02.2014
176—	अ0सू0— 40	श्री अरूप चटर्जी	ग्रामीणों को पुनर्वासित करना।	वन एवं पर्या0	24.02.2014
177—	अ0सू0— 42	श्री दीपक बिरूवा	पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	वन एवं पर्या0	24.02.2014
178—	अ0सू0— 47	श्री ढुलू महतो	मान्यता देना।	मानव संसाधन	24.02.2014
179—	अ0सू0— 35	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	विद्यालय खोलना।	मानव संसाधन	23.02.2014
180—	अ0सू0— 46	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी	पद सृजन करना।	मानव संसाधन	24.02.2014
181—	अ0सू0— 37	श्री गुरूचरण नायक	ए0सी0पी0 योजना का लाभ।	वन एवं पर्या0	23.02.2014
182—	अ0सू0— 21	श्री अरविन्द कु0सिंह	शिक्षकों को पदस्थापित करना।	मानव संसाधन	19.02.2014

(कृ0पृ0उ0)

01.	02.	03.	04.	05.	06
183–	अ0सू0– 39	श्री अरूप चटर्जी	अनुदान देना।	उद्योग	23.02.2014
184–	अ0सू0– 52	श्री सौरभ नारायण सिंह	उद्योग नीति लागू करना।	उद्योग	26.02.2014

राँची,
दिनांक– 04 मार्च, 2014 (ई0)।

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–07/2010–.....1022...../वि0स0, रांची, दिनांक– 03.03.14

प्रतिलिपिः–झारखण्ड विधान–सभा के मा0 सदस्यगण/मा0 मुख्यमंत्री/मा0 मंत्रिगण/मा0 संसदीय कार्य मंत्री/मा0 नेता प्रतिपक्ष,झारखण्ड विधान–सभा/मुख्य सचिव तथा मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

रामअशीष 03/03/14

(रामअशीष यादव)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, रॉची।

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–07/2010–.....1022...../वि0स0, रांची, दिनांक– 03.03.14

प्रतिलिपिः– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय/अपर सचिव (प्रश्न)/संयुक्त सचिव (प्रश्न) झारखण्ड विधान–सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

रामअशीष 03/03/14

अवर सचिव,झारखण्ड विधान–सभा, रॉची।

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–07/2010–.....1022...../वि0स0, रांची, दिनांक– 03.03.14

प्रतिलिपिः– कार्यवाही शाखा/आश्वासन समिति शाखा एवं बेवसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

रामअशीष 03/03/14

अवर सचिव,झारखण्ड विधान–सभा, रॉची।

अशोक/–

03.03.14

(161)

तृतीय झारखण्ड विधान सभा के त्रयोदश (बजट) सत्र में दिनांक 04.03.2014 को श्री ढुलू महतो, स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न सं0 50 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	**उत्तर**
1. क्या यह बात सही है कि बाघमारा प्रखंड में एक राजकीय पोलिटेकनिक की मंजूरी प्रदान की गई है,	1. अस्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि है कि उक्त राजकीय पोलिटेकनिक का निर्माण बाघमारा प्रखंड के मुख्यालय से दूर नगरीकला पंचायत में होना प्रस्तावित है, जहॉ से धनबाद पोलिटेकनिक की दूरी मात्र 5 कि0मी0 की है,	2. अस्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड मुख्यालय से लगभग 20 कि0मी0 दूर पोलिटेकनिक का निर्माण कराए जाने से क्षेत्र के छात्र इसकी सुविधा से वंचित हो जाएंगे,	3. अस्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार प्रस्तावित पोलिटेकनिक का निर्माण प्रखंड मुख्यालय के 5 कि0मी0 की परीधी में कराने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	4. उपरोक्त के आलोक में प्रश्न नहीं उठता है।

झारखण्ड सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक–वि0प्रा0/वि0स0–18/14 546 / राँची, दिनांक– 03/03/2014

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 856 दिनांक 24.02.2014 के आलोक में 200 प्रतियॉ के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3.3.14

(चन्द्रनाथ भगत)
सरकार के अवर सचिव

162

श्री प्रदीप यादव, स०वि०स० द्वारा दिनांक 04.03.2014 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–32,

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :– **प्रभारी मंत्री–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह**

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में वैध से ज्यादा अवैध खनन हो रहा है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने उपरोक्त कथन की स्वीकारोक्ति स्वयं की है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है।
3	क्या यह बात सही है कि प्रशासन की शिथिलता के कारण अवैध खनन पर रोक नहीं लग रही है फलस्वरूप सरकार को करोड़ो रूपये राजस्व की हानि हो रही है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या अविलम्ब अवैध खान मालिकों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई कर राजस्व क्षतिपूर्ति राशि वसूली करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अवैध खनन पर रोक लगाने हेतु जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में नियमित रूप से समीक्षा की जाती है एवं अवैध खनन की सूचना प्राप्त होते ही नियमानुसार विधि सम्मत् कार्रवाई की जाती है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक–वि०स०(अ०सू०)–21 / 2014 265 /एम०, राँची, दिनांक: 3·3·14

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–738 दिनांक 22.02.2014 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.3.14
सरकार के अवर सचिव

163

श्री मिस्त्री सोरेन, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-04.03.2014 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या -43

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पाकुड़ जिला के प्रखण्ड- महेशपुर के चिलमपुर में इंटर महाविद्यालय एवं डिग्री महाविद्यालय के नहीं बनने से छात्रों को शिक्षा का पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि पाकुड़ जिला के महेशपुर प्रखण्ड में डिग्री महाविद्यालय नहीं है। महेशपुर प्रखण्ड मुख्यालय में +2 शिक्षा हेतु पाकुड़ राज +2 उच्च विद्यालय, महेशपुर है। साथ ही सरकार द्वारा प्रस्वीकृति प्राप्त सिद्धू कान्हू स्मारक इंटर कॉलेज, महेशपुर राज है।
2.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त इंटर कॉलेज एवं डिग्री कॉलेज के नहीं रहने से वहाँ के छात्रों को बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण करना पड़ता है, जो सभी गरीब छात्रों को संभव नहीं है।	उत्तर कंडिका-1 में सन्निहित है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपरोक्त इंटर कॉलेज एवं डिग्री कॉलेज बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	इंटर शिक्षा के संदर्भ में इस खंड का उत्तर कंडिका-1 में सन्निहित है। तत्काल इस प्रखण्ड में डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग।

ज्ञापांक 5/वि2-14/2014.....446...../ रांची दिनांक-.....03/03/14...../

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-818 दिनांक-23.02.2014 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/14

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

श्री प्रदीप यादव, स.वि.स. से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या-अ.सू.-51

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-	श्रीमती गीताश्री उराँव, माननीय मंत्री, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में प्रखण्ड क्रियान्वयन समूह (बी0आई0जी0) वर्ष 1998 से संचालित है;	अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि भारत सरकार के मैनुवल बुक (सर्व शिक्षा अभियान) के पृष्ट सं0-27 कंडिका 37.1 के अनुसार पूर्व से कार्यरत डी0पी0ई0पी0 के कर्मियों को नये पद सृजन कर समायोजन का प्रावधान है;	अस्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि सर्व शिक्षा अभियान के दिनांक- 13.11.2005 के हुए बैठक में बी0आई0जी0 के सदस्यों को प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के पद पर समायोजित करने का निर्णय लिया गया है, परन्तु अबतक समायोजन नहीं किया गया है;	वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड शिक्षा परियोजना के जिला कार्यालय, हजारीबाग की कार्यकारिणी समिति द्वारा दिनांक 14.11.05 को यह निर्णय लिया गया था कि डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत कार्यरत प्रखण्ड क्रियान्वयन समूह (बी.आई.जी.) के व्यक्तियों को विहित प्रक्रिया के उपरांत उनकी योग्यता के अनुसार प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के पद पर समायोजित किया जाय। उक्त मामला नीतिगत था और सामंजन हेतु माननीय उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर की गई थी। अतः इस मामले पर राज्य कार्यकारिणी समिति की 24वीं बैठक दिनांक 09.10.09 में विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि प्रखण्ड क्रियान्वयन समूह (बी.आई.जी.) के व्यक्तियों को प्रखण्ड/संकुल में होने वाले चयन में आयुसीमा में 10 वर्ष का छूट दी जाय।

4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अविलम्ब बी0आई0जी0 कर्मियों को समायोजन करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो ?	सरकार बी.आई.जी. कर्मियों के समायोजन का कोई विचार नहीं रखती है।

(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक- 8/ 01-3-44/14 - 411 राँची, दिनांक- 03.03.2014.

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 863, दिनांक 24.02.14 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

श्री मथुरा प्रसाद महतो, स.वि.स. से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या-अ.सू.-33

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	श्रीमती गीताश्री उराँव, माननीय मंत्री, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची द्वारा कक्षा 8 के इतिहास की पाठ्यपुस्तक, समाजिक विज्ञान, हमारे अतीत-iii भाग- 9 में पृ०सं० 48 एवं 49 में बिरसा मुण्डा की जन्मतिथि सन् 1870 एवं पुण्यतिथि सन् 1900 अंकित की गई है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त पुस्तक में जन्मतिथि/पुण्यतिथि एवं उनके माता-पिता का नाम का उल्लेख नहीं है;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बिरसा मुण्डा की सही जन्मतिथि/पुण्यतिथि तथा उनके माता-पिता के नाम की सही-सही जानकारी से झारखण्ड के विद्यार्थियों को अवगत करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	NCERT, New Delhi द्वारा प्रदत् copyright के आधार पर झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा प्रश्नाधीन पाठय-पुस्तक का मुद्रण कराया गया है। इसमें सुधार हेतु NCERT को लिखा जा रहा है।

ह०/ 3/3/14
(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक- 8/प०-3-40/14-405 राँची, दिनांक- 03.03.2014.

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 740, दिनांक 22.02.14 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 3/3/14
(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

166

तृतीय झारखण्ड विधान सभा के त्रयोदश (बजट) सत्र में दिनांक 04.03.2014 को श्री नवीन जायसवाल, स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न सं0 44 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि राज्य में 10+2 व्यवसायिक शिक्षा अन्तर्गत उत्तीर्ण छात्रों का तीन वर्षीय डिप्लोमा के अभियंत्रण पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष डिप्लोमा 10% सीटों पर पोलिटेकनिक संस्थानों में सीधे नामांकन की व्यवस्था है,	1. स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी/टेक्सटाइल डिजाईन और कृषि अभियंत्रण का डिप्लोमा स्तर पर पढ़ाई व्यवस्था नहीं रहने के कारण क्रमशः 10+2 सेरिकल्चर/टेक्सटाइल्स तथा एग्रीकल्चर/फार्म मेकेनिक्स से उत्तीर्ण सैकड़ो छात्र डिप्लोमा नामांकन से वंचित रह रहे है,	2. स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार टेक्सटाइल्स तथा कृषि अभियंत्रण डिप्लोमा की पढ़ाई शुरू करते हुए उपरोक्त व्यवसायिक संकाय के छात्रों को लाभ देने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	3. इस संबंध में सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

झारखण्ड सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक–वि0प्रा0/वि0स0–16/14 — 523 / राँची, दिनांक– 28.02.14

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 840 दिनांक 24.02.2014 के आलोक में 200 प्रतियॉ के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28.2.14
(चन्द्रनाथ भगत)
सरकार के अवर सचिव

167

श्री जय प्रकाश सिंह भोक्ता, स०वि०स० द्वारा दिनांक 04.03.2014 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–38,

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :–

प्रभारी मंत्री–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि चतरा जिलान्तर्गत प्रखण्ड टण्डवा में मगध और आम्रपाली कोयलवरी खुल रही है;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। सी०सी०एल० प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया कि दिनांक 07.02.2014 से आम्रपाली ओपन कास्ट चालू किया गया है। मगध परियोजना के अन्तर्गत कोयला खनन प्रारम्भ होने की सूचना नहीं है।
2	क्या यह बात सही है कि सी०सी०एल० द्वारा भूमि अधिगृहित की गयी है;	उत्तर स्वीकारात्मक है। आम्रपाली ओपन कास्ट प्रोजेक्ट के लिए Coal Bearing Areas(Acquistion & Development) Act, 1957 के अन्तर्गत 1247 हे० भूमि अधिग्रहित की गयी है। मगध परियोजना के अन्तर्गत लगभग 1741 हे० भूमि Coal Bearing Areas(Acquistion & Development) Act, 1957 के अन्तर्गत अधिग्रहित की गयी है।
3	क्या यह बात सही है कि सी०सी०एल द्वारा विस्थापितों को बगैर मुआवजा एवं नौकरी दिये खनन कार्य शुरू कर दी गई है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। आम्रपाली ओपन कास्ट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत मात्र Released Forest Land (मुक्त वन भूमि) पर खनन कार्य प्रारम्भ किये जाने की सूचना है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विस्थापितों को नौकरी एवं मुआवजा दिलाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सी०सी०एल० प्रबंधन द्वारा वन भूमि पर खनन कार्य प्रारम्भ किया गया है। भविष्य में खनन कार्य विस्तार के अन्तर्गत पड़नेवाले भू–धारकों को विस्थापन एवं पुनर्वास नीति(R & R Policy) के अन्तर्गत नियमानुसार मुआवजा दिये जाने की बात स्वीकार की गयी है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक–वि०स०(अ०सू०)–22 / 2014 — 260 /एम०, राँची, दिनांक: 1-3-14

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–816 दिनांक 23.02.2014 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.3.14

सरकार के अवर सचिव

168

श्री बंधु तिर्की, मा० स०वि०स० द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक 04.03.2014 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं० – 45 का उत्तरः–

प्रश्नकर्ता	उत्तर दाता
श्री बंधु तिर्की, माननीय सदस्य विधान सभा	*श्रीमती गीताश्री उरॉवः माननीया मंत्री कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी 105 डे–बोर्डिंग प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशिक्षकों को मानदेय के रूप में मात्र 5500/– रू० प्रतिमाह दिया जाता है।	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2005 से संचालित सभी डे–बोर्डिंग प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशिक्षुओं को अब तक मात्र पाँच सेट (पाँच समय) ही खेल सामग्री दी गई है, जबकि प्रत्येक वर्ष खेल सामग्री उपलब्ध कराने का प्रावधान है।	स्वीकारात्मक। वर्ष 2006–07, वर्ष 2007–08, वर्ष 2008–09, वर्ष 2009–10 एवं वर्ष 2012–13 में खेल सामग्री दी गयी है। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 में खेल सामग्री उपलब्ध कराने हेतु प्रक्रिया की जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार डे–बोर्डिंग प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशिक्षकों को नियमित करने तथा प्रशिक्षुओं को प्रत्येक वर्ष सभी खेल सामग्री उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	(i) डे–बोर्डिंग प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशिक्षकों को नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है। (ii) प्रत्येक वर्ष आवश्यकतानुसार खेल सामग्री उपलब्ध करायी जाती है।

झारखण्ड सरकार

कला, संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : 1/वि०स०–8–115/2014/क 589 /राँची, दिनांक 03/03/14

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 839 दिनांक 24.02.2014 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/3

सरकार के उप सचिव

कला, संस्कृति, खेलकूद एव युवा कार्य विभाग

झारखण्ड, राँची।

श्री माधव लाल सिंह, स0वि0स0 से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–26 का उत्तर सामग्री निम्न है :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर सामग्री
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत बेरमो अनुमंडल के टी0टी0पी0एस0, ललपनियाँ से प्रतिदिन उत्पादन के कम में छाई (एस) बाहर निकाला जाता है ?	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित छाई दामोदर नदी में बहकर नदी को तथा आम जनजीवन को भी प्रदूषित कर रहा है।	वन एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित छाई (एस) पर आधारित सिमेन्ट या ईंट निर्माण हेतु उद्योग स्थापित करना चाहती है, यदि हॉ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	राज्य सरकार उद्योग स्वयं नहीं लगाती है। उद्योग स्थापना करने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित कर आवश्यक सहयोग किया जाता है। फ्लाई ऐश आधारित सीमेंट अथवा ईंट के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकार आवश्यक सहयोग करती है। इस प्रकार के उद्योग के लिए झारखण्ड औद्योगिक नीति, 2012 में विशेष रूप से प्रोत्साहन दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक 305 /रॉची, दिनांक 03-03-2014 /
01/उ0वि0/वि0स0–17/2014

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची के ज्ञाप संख्या–635 दिनांक–20.02.2014 के आलोक में उत्तर की 250 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/03/14
सरकार के अवर सचिव

श्री माधव लाल सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 04.03.2014 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–26 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत बेरमो अनुमंडल के टी0टी0पी0एस0 ललपनिया से प्रतिदिन उत्पादन के क्रम में छाई (ऐस) बाहर निकाला जाता है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित छाई दामोदर नदी में बहकर नदी को तथा आम जनजीवन को भी प्रदूषित कर रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित छाई (ऐस) पर आधारित सिमेन्ट या ईट निर्माण हेतु उद्योग स्थापित करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वन एवं पर्यावरण विभाग/झारखण्ड प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से संबंधित नहीं है।

झारखण्ड सरकार
वन एवं पर्यावरण विभाग

ज्ञापांक–वि0स0अल्पसूचित प्रश्न–39/2014– 1116 व0प0, राँची, दिनांक– 3/3/2014

प्रतिलिपि– प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखंड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–635 दिनांक–20.02.2014 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (संसदीय कार्य) विभाग, झारखंड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखंड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/14

(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

श्री माधव लाल सिंह, स0वि0स0 से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–26 का उत्तर सामग्री निम्न है :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर सामग्री
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत बेरमो अनुमंडल के टी0टी0पी0एस0, ललपनियाँ से प्रतिदिन उत्पादन के कम में छाई (एस) बाहर निकाला जाता है ?	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित छाई दामोदर नदी में बहकर नदी को तथा आम जनजीवन को भी प्रदूषित कर रहा है।	वन एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित छाई (एस) पर आधारित सिमेन्ट या ईंट निर्माण हेतु उद्योग स्थापित करना चाहती है, यदि हॉ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	राज्य सरकार उद्योग स्वयं नहीं लगाती है। उद्योग स्थापना करने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित कर आवश्यक सहयोग किया जाता है। फ्लाई ऐश आधारित सीमेंट अथवा ईंट के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकार आवश्यक सहयोग करती है। इस प्रकार के उद्योग के लिए झारखण्ड औद्योगिक नीति, 2012 में विशेष रूप से प्रोत्साहन दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक 305 /राँची, दिनांक 03-03-2014 /
01 / उ0वि0 / वि0स0–17 / 2014

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची के ज्ञाप संख्या–635 दिनांक–20.02.2014 के आलोक में उत्तर की 250 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/03/14
सरकार के अवर सचिव

170

श्री रामचन्द्र बैठा, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–49

क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि रांची शहर से सटा स्कूल बीआईटी प्लस टू और मध्य विद्यालय, मेसरा दोनों स्कूल को मिलाकर 223 लड़कियाँ पढ़ती है, लेकिन स्कूल में चहारदीवारी नही है।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि स्कूल के छात्राओं को शौच के लिए पास के जंगलों में जाना पड़ता है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, रांची के प्रतिवेदन के अनुसार मात्र राजकीयकृत मध्य विद्यालय, मेसरा में मात्र एक शौचालय है, जिसका उपयोग छात्राओं द्वारा किया जाता है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त दोनों स्कूल का चहारदीवारी कराने एवं शौचालय की समुचित व्यवस्था कराना चाहती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	जहां तक विद्यालयों में शौचालयों का संदर्भ है, इसका आकलन कराते हुए आवश्यकतानुरूप शौचालय निर्माण की कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। जहां तक चहारदीवारी निर्माण का संदर्भ है, दोनों विद्यालय बीआईटी मेसरा की भूमि एवं भवन पर संचालित है तथा प्रबंधन द्वारा अतिरिक्त निर्माण पर रोक लगाया गया है।

28/2

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
झारखंड, राँची।

झारखंड-सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-12/स.5(1)-80/2014.....408...../ दिनांक 03/03/2014.

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
झारखंड, राँची।

171

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

श्री विष्णु प्रसाद भैया, स.वि.स. से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या-अ.सू.-36

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-	श्रीमती गीताश्री उराँव, माननीय मंत्री, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के पारा शिक्षकों द्वारा सम्मान जनक मानदेय में वृद्धि हेतु माँग किया जा रहा है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि पारा शिक्षक अन्य राज्यों की भाँति, झारखण्ड राज्य सरकार द्वारा भी स्थायीकरण करने की माँग कर रहें हैं;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि टेट पास पारा शिक्षकों द्वारा जिलावार स्थानीयता के आधार पर नियुक्ति करने की माँग की जा रही है;	पारा शिक्षकों के चयन हेतु झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि वैसे अहर्ताधारी अभ्यर्थी को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी, जो उस गाँव/टोला, जहां विद्यालय अवस्थित है में वास करते हों। गाँव/टोला में अहर्ताधारी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं मिलने की स्थिति में संबंधित पंचायत में उपलब्ध अहर्ताधारी उम्मीदवारों में से चयन किया जायेगा। पंचायत की सीमा में भी अहर्ताधारी उम्मीदवारों नहीं रहने पर अगल-बगल के पंचायत से, तत्पश्चात् प्रखण्ड के अन्य क्षेत्रों से और अंततः अन्य प्रखण्ड से उम्मीदवार का चयन किया जायेगा।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पारा शिक्षकों द्वारा की जा रही माँगों को पूरा करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	राज्य गठन के बाद पारा शिक्षकों के मानदेय में समय-समय पर वृद्धि की जाती रही है। अंतिम वृद्धि वर्ष 2012 में हुई थी। पुनः उनके मानदेय में 20% की वृद्धि का निर्णय लिया गया है। सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु गठित नियमावली में यह प्रावधान है कि कुल रिक्ति के 50% पद पर पारा शिक्षकों में से नियुक्ति की जायेगी।

7/8/14

(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक–8/ए-3-38/14-410 राँची, दिनांक– 03.03.2014.

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 817, दिनांक 23.02.14 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 3/3/14
(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

172

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

श्री चन्द्रिका महथा, स.वि.स. से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या-अ0सू0-31

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-	श्रीमती गीताश्री उराँव, माननीय मंत्री, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में तमाम पारा शिक्षक मानदेय की बढ़ोत्तरी एवं सेवा नियमित करने की माँग पर सम्पूर्ण राज्य में आन्दोलनरत है;	अस्वीकारात्मक ।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य में अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम के आलोक में जन-जन को शिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित है, ऐसे परिस्थिति में पारा शिक्षकों द्वारा अपनी माँगों को लेकर आये दिन आन्दोलन करने से शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे है;	आंशिक रूप में स्वीकारात्मक ।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पारा शिक्षकों का मानदेय 18,000 रु0 करने एवं इनकी सेवा नियमित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य गठन के बाद पारा शिक्षकों के मानदेय में समय-समय पर वृद्धि की जाती रही है। अंतिम वृद्धि वर्ष 2012 में हुई थी। पुनः उनके मानदेय में 20% की वृद्धि का निर्णय लिया गया है। सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु गठित नियमावली में यह प्रावधान है कि कुल रिक्ति के 50% पद पर पारा शिक्षकों में से नियुक्ति की जायेगी।

(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-क.3-31/2014-403 राँची, दिनांक- 03.03.2014.

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 661, दिनांक 21.02.14 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

(173)

तृतीय झारखण्ड विधान सभा के त्रयोदश (बजट) सत्र में दिनांक 04.03.2014 को श्री कमलेश उरॉव, स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न सं0 48 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि वर्ष 2011 में गुमला जिला के चन्दाली ग्राम में पोलिटेकनिक कॉलेज निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध करा दी गई है,	1. स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि वर्ष 2012 में तत्कालीन सरकार एवं गुमला प्रशासन द्वारा उपलब्ध जमीन पर निर्माण कार्य के पहल हुए थे, परन्तु अभी कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहे है,	2. अंशतः स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार गुमला जिला के लिए घोषित पोलिटेकनिक कॉलेज का निर्माण कराने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	3. गुमला में राजकीय पोलिटेकनिक के निर्माण हेतु संबंधित निर्माण ऐजेन्सी को कार्यानुमति प्रदान की जा चूकी है तथा निर्माण से संबंधित प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक–वि0प्रा0/वि0स0–17/14 547 / राँची, दिनांक– 03/03/2014

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 854 दिनांक 24.02.2014 के आलोक में 200 प्रतियॉ के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3.3.14

(चन्द्रनाथ भगत)
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

श्री जनार्दन पासवान, स.वि.स. से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या-अ.सू.-34

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-	**श्रीमती गीताश्री उराँव, माननीय मंत्री, झारखण्ड सरकार**
1.	क्या यह बात सही है कि पारा शिक्षकों का मानदेय का भुगतान स्थानीय पंचायत के मुखिया द्वारा उपस्थिति पंजी पर प्रति हस्ताक्षर के उपरांत किया जाता है;	वस्तुस्थिति यह है कि पारा शिक्षकों की उपस्थिति के प्रमाणन देने हेतु राज्य सरकार के निर्णयानुसार संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया को प्राधिकृत किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि पारा शिक्षक एवं मुखिया दोनों स्थानीय है जिसके कारण मुखिया द्वारा पारा शिक्षक पर अपने पक्ष में कार्य करने हेतु विवश करते है तथा उनकी बात नहीं मानने पर पारा शिक्षकों के उपस्थिति पंजी पर प्रति हस्ताक्षर नहीं करते हैं जिससे इसका मानदेय लम्बित रह जाता है;	विद्यालय प्रबंध समिति पारा शिक्षकों का नियोक्ता है और तद्नुसार, वे अपनी कठिनाई को समिति की बैठक में रख सकते है। इस समिति में शिक्षक प्रतिनिधि के साथ-साथ पंचायत प्रतिनिधि भी सदस्य रहते है और उनसे अपेक्षित है कि ऐसी कठिनाईयों के निराकरण हेतु वे गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करेंगे।
3.	क्या यह बात सही है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के उपरांत पंचायत की जिम्मेवारी पंचायत समिति, मुखिया एवं वार्ड सदस्यों को दी गयी है;	स्वीकारात्मक।
4.	अगर उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड-3 में वर्णित किसी भी निर्वाचित सदस्य के द्वारा पारा शिक्षकों की उपस्थिति पंजी पर प्रति हस्ताक्षर करने का प्रावधान बनाने का विचार करना चाहती है यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है।

(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक–8/06-3-39/2014-406 राँची, दिनांक– 03.03.2014

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 819, दिनांक 23.02.14 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 3/3/14
(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री दीपक बिरूवा, स०वि०स० द्वारा दिनांक 04.03.2014 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–41,

(175)

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :– प्रभारी मंत्री–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सीएजी के प्रतिवेदन के अनुसार कोल्हान में वर्ष 2006–10 में कई आवेदकों को गलत तरीके से लौह अयस्क खनन पट्टा आवंटित किया गया है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि सर्वश्री अनंदिता ट्रेडर्स एण्ड इंवेस्टमेंट लि० तथा सर्वश्री इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग लि० फर्म को निर्धारित तकनीकी एवं अद्यौगिक अनुभव प्राप्त नही रहते, खनन पट्टा दी गई है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नियम विरूद्ध दी गई खनन पट्टा को रद्द करते हुए भ्रष्टाचार में शामिल पदाधिकारियों को चिन्हित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	M/s Anandita Traders & Investment Ltd. के पक्ष में भारत सरकार से पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के उपरांत खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 एवं खनिज समनुदान नियमावली, 1960 के प्रावधानों के तहत Captive use के लिए खनन पट्टा स्वीकृत किया गया है। सर्वश्री इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग लि० के पक्ष में अभी तक खनन पट्टा स्वीकृत नहीं है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक–वि०स०(अ०सू०)–20 / 2014 264 /एम०, राँची, दिनांक: 3·3·14

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–815 दिनांक 23.02.2014 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3321
3.3.14
सरकार के अवर सचिव

176

श्री अरूप चटर्जी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 04.03.2014 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–40 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि बोकारो इस्पात संयत्र में ऐश पौण्ड से 19 ग्राम जहरीले छाई से प्रभावित है, जिससे ग्रामीण रोगों के शिकार हो रहे हैं;	अस्वीकारात्मक।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार प्रदूषण नियंत्रित करते हुए ग्रामीणों को पुर्नवासित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रश्न हीं नहीं उठता है।

झारखण्ड सरकार
वन एवं पर्यावरण विभाग

ज्ञापांक–4/वि0स0अल्पसूचित प्रश्न–43/2014– 1112 व0प0, राँची, दिनांक– 3/3/2014

प्रतिलिपि– प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखंड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–822 दिनांक–24.02.2014 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (संसदीय कार्य) विभाग, झारखंड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखंड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/14

(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

177

(16)

श्री दीपक विरूवा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 04.03.2014 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–42 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि महालेखाकार की जांच प्रतिवेदन में झारखण्ड राज्य वन विकास निगम में 441.42 करोड़ रूपये की हुई अनियमितता का मामला प्रकाश में आया है;	अस्वीकारात्मक। महालेखाकार द्वारा झारखण्ड राज्य वन विकास निगम के संबंध में दिए गये प्रतिवेदन में इस आशय की अनियमितता का उल्लेख नहीं है।
2. क्या यह बात सही है कि निगम के प्रबंध निदेशक ने अनियमित रूप से ठेकेदारों को फायदा पहुँचाने के लिए केन्दु पत्ता की दर बाजार मूल्य से कम निर्धारित की जिससे निगम को 15.32 करोड़ रूपये का राजस्व घाटा हुआ है;	अस्वीकारात्मक। विगत तीन वर्षों में किसी केन्दुपत्ती लौट की बिक्री सुरक्षित मूल्य से कम मूल्य पर नहीं की गई है।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राजस्व क्षति/अनियमितता में शामिल पदाधिकारियों के उपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	---

झारखण्ड सरकार
वन एवं पर्यावरण विभाग

ज्ञापांक–4/वि0स0अल्पसूचित प्रश्न–41/2014– 1114 व0प0, राँची, दिनांक– 3/3/2014

प्रतिलिपि– प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखंड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–821 दिनांक–23.02.2014 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (संसदीय कार्य) विभाग, झारखंड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखंड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/14

(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

(178)

श्री ढुलु महतो, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0-47

क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बी0टी0एम0 उच्च विद्यालय, मालकेरा, बाघमारा प्रखंड के सबसे पुराना उच्च विद्यालय है।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि बी0टी0एम0 उच्च विद्यालय, मालकेरा में क्षेत्र के सैकड़ों छात्र-छात्राएँ शिक्षा ग्रहण करतें है जिन्हे उच्च माध्यमिक विद्यालय की शिक्षा ग्रहण के लिए अन्यत्र के विद्यालयों में जाना पड़ता है।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3	क्या यह बात सही है कि वर्षो से इस विद्यालय को इंटर कॉलेज तक करने की मागं की जा रही है और विद्यालय भी इंटर कॉलेज की सभी अहर्ताओं को पूरा करता है।	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् 7-8 किलोमीटर की परिधि में +2 विद्यालय की सुविधा उपलब्ध करानी है। प्रश्नाधीन विद्यालय से 8 किलोमीटर की परिधि में निम्न संस्थान में +2 की शिक्षा दी जाती है :-

विद्यालय का नाम	दूरी
1. डी.ए.वी. +2 उच्च विद्यालय, कतरासगढ़	2 किलोमीटर
2. कतरास कॉलेज, कतरास	4 किलोमीटर
3. +2 उच्च विद्यालय, नावागढ़	8 किलोमीटर

4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बी0टी0एम0 उच्च विद्यालय को इंटर कॉलेज की मान्यता देने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस खंड का उत्तर खंड-2 में सन्निहित है।

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
झारखंड, राँची।

झारखंड-सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-12/स.5(1)-79/2014.....407...../ दिनांक 03/03/2014.

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
झारखंड, राँची।

179

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–35

क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि रांची जिला अन्तर्गत खलारी प्रखण्ड में कस्तुरबा आवासीय उच्च विद्यालय नही है।	उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत् शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े 203 प्रखण्डों में कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय की स्थापना वर्ग–6 से वर्ग–8 तक की गयी है। राज्य योजना के तहत् इन्हीं विद्यालयों को उत्क्रमित करते हुए वर्ग–9 से वर्ग–12 तक का पठन–पाठन किया जा रहा है। खलारी प्रखण्ड एक नया प्रखण्ड है, जो बुढ़मूं से अलग किया गया है। बुढ़मूं प्रखण्ड में कस्तुरबा गांधी आवासीय उच्च विद्यालय अवस्थित है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंड में कस्तुरबा आवासीय विद्यालय नही रहने के कारण वहाँ के गरीब आदिवासी छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।	खलारी प्रखण्ड में सह शिक्षा के तहत् निम्न उच्च विद्यालय संचालित हैं, जहां छात्रायें भी शिक्षा ग्रहण करती हैं :– 1. जनता +2 उच्च विद्यालय, खलारी 2. स्थापना अनुमति प्राप्त आदर्श उच्च विद्यालय, मैक्लुस्कीगंज 3. स्थापना अनुमति प्राप्त विद्या विकास केन्द्र उच्च विद्यालय, डकरा 4. स्थापना अनुमति प्राप्त ए.सी.सी. उच्च विद्यालय, खलारी 5. स्थापना अनुमति प्राप्त आदर्श उच्च विद्यालय, शांति नगर, खलारी। 6. स्थापना अनुमति प्राप्त ज्ञान भारती उच्च विद्यालय, करकट्टा
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खेलारी प्रखंड में कस्तुरबा आवासीय उच्च विद्यालय विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस खंड का उत्तर खंड–1 एवं खंड–2 में सन्निहित है।

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
झारखंड, राँची।

झारखंड–सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक–12/स.5(1)–77/2014.....406...../ दिनांक.....03/03/2014.

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
झारखंड, राँची।

श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-04.03.2014 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या -46

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के द्वारा जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का विभाग खोलने एवं संबंधित विषय के व्याख्याताओं के लिए पद सृजन का प्रस्ताव वर्ष 2012 को ही उच्च शिक्षा निदेशालय को दिया गया है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि विश्वविद्यालय के द्वारा जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के अध्ययन एवं कतिपय पदों के सृजन हेतु पत्र भेजा गया है। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रकिया अपना कर विधिवत् प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का विभाग नहीं रहने के कारण जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राओं को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का विभाग खोलने का उक्त भाषाओं में व्याख्याता का पद सृजन का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	विश्वविद्यालय से विधिवत् प्रस्ताव के साथ कतिपय सूचना की मांग की गयी है। विधिवत् प्रस्ताव उपलब्ध होने पर विचार किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग।

ज्ञापांक 5/वि2-15/2014...447.../ रांची दिनांक-...03/03/14.../

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-838 दिनांक-24.02.2014 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/14

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

181

श्री गुरूचरण नायक, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 04.03.2014 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–37 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार ने अपने सरकारी सेवकों के लिए ए0सी0पी0 योजना से संबंधित संकल्प वर्ष–2002 में जारी किया था, जिसके तहत 12/24 वर्षों की नियमित सेवा के उपरांत सरकारी सेवकों को क्रमशः 1/2 उच्चतर प्रोन्नति के पद का वेतन देने की व्यवस्था थी;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि अहर्त्ता रखने के बावजूद भी विगत 11 वर्षों में मात्र 10 प्रतिशत वन क्षेत्र पदाधिकारियों को ही इस योजना के तहत वित्तीय प्रोन्नति दी जा सकी है;	ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 योजना के प्रावधानों के अधीन अर्हत्ता रखने वाले विभाग में कार्यरत वन क्षेत्र पदाधिकारियों को आवश्यक लाभ दिया जाता रहा है। इस आलोक में वर्ष 2012 एवं 2013 में आवश्यक आदेश निर्गत किये गये हैं। वर्ष 2013 में पुनः विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के आलोक में अर्हत्ता रखने वाले अवशेष वन क्षेत्र पदाधिकारियों के लिए ACP/MACP के देयता के विषय पर नियमानुसार निर्णय सरकार के प्रक्रियाधीन है।
3. यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इस योजना को लागू करने में विलंब के लिए दोषी पदाधिकारियों को चिन्हित कर उचित कार्रवाई करने एवं अहर्त्ता रखने वाले शेष वन क्षेत्र पदाधिकारियों को बैंक दर पर सामान्य सूद एवं क्षतिपूर्ति सहित ए0सी0पी0 योजना का लाभ देने का विचार रखती है,, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	नियमानुसार ACP/MACP दिये जाने की कारवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
वन एवं पर्यावरण विभाग

ज्ञापांक–4/वि0स0अल्पसूचित प्रश्न–42/2014– 1111 व0प0, राँची, दिनांक– 3/3/2014

प्रतिलिपि– प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखंड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–820 दिनांक–23.02.2014 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (संसदीय कार्य) विभाग, झारखंड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखंड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आव यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/14

(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

श्री अरविन्द कुमार सिंह, स.वि.स. से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या-अ0सू0-21

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	श्रीमती गीताश्री उराँव, माननीय मंत्री, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि चाण्डिल अनुमंडल अन्तर्गत मध्य विद्यालय 49, उत्क्रमित मध्य विद्यालय 185 एवं प्राथमिक विद्यालय-113 हैं,	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त विद्यालयों में शिक्षकों के नौ सौ स्वीकृत पदों के विरूद्ध सिर्फ 550 शिक्षक प्रतिनियुक्त है, जिसे पठन-पाठन सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है,	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि चाण्डिल अनुमंडल अन्तर्गत 541 शिक्षक पदस्थापित एवं कार्यरत है, जिनसे पठन-पाठन का कार्य लिया जा रहा है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उपरोक्त प्रखण्डों के विद्यालयों में पद के अनुरूप शिक्षकों को पदस्थापित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इण्टर प्रशिक्षित शिक्षक तथा उर्दू शिक्षक की नियुक्ति हेतु जिलों द्वारा आवेदन प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति हेतु पद संपरिवर्तन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक- 8/ प-3-23/14-413 राँची, दिनांक- 03.03.2014

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 544, दिनांक 19.02.14के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री अरुप चटर्जी, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न सं0–39 की उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद स्थित के.एम. सी.ई.एल. कारखाना की बैंक ऑफ इंडिया के देनदारी 3 करोड़ 75 लाख रु0 है, जिसके कारण फैक्ट्री निलामी के कागार पर खड़ी है।	स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि के.एम.सी.ई.एल. की बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार 23894860 रु0 का बकाया फरवरी 2014 तक सूचित किया गया है।
2	यदि उपरोक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार, मजदूरों के हित में 3 करोड़ 75 लाख रु0 अनुदान देने की विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त वर्णित तथ्य के आलोक में कहना है कि यह इकाई सर्वश्री बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम के साथ टाटा स्टील लि0 की संयुक्त इकाई है। जिसका स्वामित्व बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम के पास है। बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 आस्तियों एवं दायित्वों का बटवारा दोनों राज्यों के बीच लंबित है। उद्योग विभाग के पत्रांक–2119 दिनांक–06.07.2012 के द्वारा बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम के अन्तर्गत गठित subsidery committee के संयुक्त उपक्रम, सहायक उपक्रम एवं अन्य उपक्रमों की तथ्य विवरणी एवं वित्तीय स्थिति तथा अन्य सूचना की मांग की गयी थी परन्तु इस इकाई के संबंध में किसी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं हुआ है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक 306 /रॉची, दिनांक 03-03-2014 /
01/उ0वि0/वि0स0 (अल्पसूचित प्रश्न)–21/2014

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रॉची के ज्ञाप संख्या–814 दिनांक–23.02.2014 के आलोक में उत्तर की 250 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/03/14
सरकार के अवर सचिव

184

श्री सौरभ नारायण सिंह, मान्नीय स0वि0स0 से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–52 की उत्तर सामग्री :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर सामग्री
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार में नई उद्योग नीति–2012 जुलाई में बनाई गयी थी।	अस्वीकारात्मक है। संकल्प संख्या–1958 दिनांक–16.06.2012 के द्वारा अधिसूचित है।
2	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार ने लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए काफी प्रोत्साहित किया है।	स्वीकारात्मक है।
3	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में नए उद्यमी उद्योग लगाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, लेकिन उद्योग नीति नहीं लागू होने के कारण उद्यमी बिहार एवं बंगाल के ओर जा रहे हैं।	अस्वीकारात्मक है। उद्योग नीति लागू है।
4.	क्या यह बात सही है कि नई उद्योग नीति 01.04.2011 से लागू करना था।	उद्योग नीति दिनांक–01.04.2011 से लागू है।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई उद्योग नीति लागू करना चाहती है, नहीं तो क्यों ?	नई उद्योग नीति लागू है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक 311 /राँची, दिनांक 03-03-2014 /
01/उ0वि0/वि0स0 (अल्पसूचित प्रश्न)–23/2014

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची के ज्ञाप संख्या–983 दिनांक–26.02.2014 के आलोक में उत्तर की 250 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/03/14
सरकार के अवर सचिव